प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 09.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 गौतस्कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,00,050/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 गौतस्कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,00,050/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.06.2023 को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा 01 ट्रक कन्टेनर जिसमे 16 बैल जिसमे 10 जिंदा व 06 मृत बैल लदे हुये थे को बरामद किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुये थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0 56/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधि0 व धारा 429 भादवि** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अरुण कुमार तिवारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 अभिषेक कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 09.07.2024 को अन्तर्गत धारा 5 ख गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11(1)घ(5) पशुओं के प्रति क्रुरता अधि0 में मा0 न्यायालय ADJ -9 इटावा द्वारा 01 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 1,00,050/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **मो0 नईम उर्फ शाका पुत्र मो0 मोविन निवासी नूरी मस्जिद के पास तकिया आजाद स्कूल के पास सराय हातिम थाना नखासा जनपद सम्भल।**